संख्या-01/2021/449/46-2-21-102(2)/2021

प्रेषक,

शिव सहाय अवस्थी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

चीनी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 24 मार्च, 2021

विषय-उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. की रूग्ण सहकारी चीनी मिलों के कर्मचारियों के अवशेष देयों हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत रू.20/- करोड (रूपए बीस करोड मात्र) को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

---

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. के पत्र संख्या-2343/यू.पी.एफ./ प्र.प्र. (लेखा)/2020-21 दिनांक 23.03.2021, जिसमें उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. की रूग्ण सहकारी चीनी मिलों के कर्मचारियों के अवशेष देयों हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत रू.20/- करोड (रूपए बीस करोड मात्र) को अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है, के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में लेखा शीर्षक 6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज 04 चीनी-101 सहकारी चीनी मिलों के लिये कर्ज-21-उ.प्र. सहकारी चीनी मिलों के क्षमता विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण/कोजनरेशन संयंत्र/आसवनी की स्थापना एवं जीर्णोद्धार आदि कार्यों हेतु ऋण-30- निवेश/ ऋण में प्राविधानित रू.20.00 करोड़ (रूपए बीस करोड़ मात्र) को पुनर्विनियोग के माध्यम से (संलग्न प्रपत्र बी.एम.-9) रूग्ण सहकारी चीनी मिलों के कर्मचारियों के अवशेष देयों हेतु लेखा शीर्षक 6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज-04-चीनी-101-सहकारी चीनी मिलों के लिये कर्ज-15- रूग्ण सहकारी चीनी मिलों के कर्मचारियों के अवशेष देयों के भुगतान हेतु कर्ज-30- निवेश/ ऋण में प्राप्त रू.20.00 करोड़ (रूपए बीस करोड़ मात्र) की धनराशि को संलग्न सूची के अनुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं तथा आपको अधिकृत करते हैं कि कृपया वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-1 के पैरा-209 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार इस धनराशि को राजकोष से आहरित कर उपरोक्त कार्य हेतु उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. को तत्काल उपलब्ध कराएँ:-

(i) राज्य सरकार की सामान्य व्यवस्थाओं के अन्तर्गत ऋण की अदायगी 10 वर्षों में की जाएगी।



1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(ii) ब्याज दर 14 प्रतिशत (11.50 + 2.50) प्रतिवर्ष वार्षिक होगी। मूलधन एवं ब्याज की नियमित अदायगी पर ब्याज दर में 2.50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगीजायेगी तथा प्रभावी ब्याज दर 11.50 प्रतिशत (साढे ग्यारह प्रतिशत) होगी।

(iii) मूलधन/ब्याज अदायगी में व्यवधान होने पर 2.50 प्रतिशत की छूट अनुमन्य न होगी तथा प्रभावी ब्याज दर 14 प्रतिशत देय होगी। दण्डात्मक ब्याज दर अदायगी की निश्चित तिथि से अदायगी की वास्तविक तिथि के ठीक पूर्व तक लागू रहेगी।

(iv) मूलधन एवं ब्याज की अदायगी की तिथि ऋण आहरण की पहली वर्षगांठ तिथि होगी। अग्रतर किश्तों की अदायगी इसी प्रकार एक वर्ष की समाप्ति पर पड़ने वाली वर्षगांठ तिथि को की जानी होगी।

(v) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में इंगित प्रयोजन हेतु कर लिया जायेगा।

(vi) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसमें अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जाएगी।

2. उक्त धनराशि उसी प्रयोजन के लिए व्यय की जायेगी, जिस हेतु स्वीकृत की गयी है।

3. उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. ऋण के आहरण की सूचना उप मुख्य लेखाकार (राजकोष) कार्यालय महालेखाकार (लेखा) प्रथम, उ.प्र. प्रयागराज को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि, लेखा शीर्षक सूचित करते हुए भेजेंगे।

4. संघ द्वारा ऋण की किश्तों का भुगतान या उनके द्वारा ब्याज जमा करते हुए उसकी सूचना महालेखाकार कार्यालय को निम्न प्रकार से अवश्य भेजा जाए:-

(1) कोषागार का नाम-
(2) चालान संख्या तथा दिनांक-
(3) जमा धनराशि किश्त ब्याज
(4) लेखाशीर्षक जिसके अन्तर्गत जमा किया गया किश्त/ब्याज
(5) शासनादेश संख्या और एस.एल.आर. का सन्दर्भ
(6) पिछले जमा का सन्दर्भ

5. चीनी आयुक्त ऋण आहरण तथा प्रतिदान का प्रत्येक वर्ष के लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखों से अवश्य कराएँगें।

6. भविष्य में शासन द्वारा ऋण तभी स्वीकृत किया जाएगा जब यह सुनिश्चित हो जाए कि संघ ने इस प्रकार के वार्षिक लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय के लेखों से करा लिया है ताकि प्रत्येक अवशेष ऋण की स्थिति शासन को स्पष्ट रहें और ऋणी संस्था महालेखाकार कार्यालय से इस आशय का प्रमाण-पत्र शासन को अवश्य उपलब्ध करा देंगें।

7. इस शासनादेश में उल्लिखित धनराशि के आहरण वितरण तथा उपयोग की पूर्ण सूचना बाउचर तथा आहरण की तिथि सहित शासन को शीघ्र भेजी जाएगी। प्रधान प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी अनिवार्य रूप से शासन/ महालेखाकार को प्रेषित किया जाएगा।

8. इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन वित्त नियन्त्रक/ मुख्य/ वरिष्ठ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो,



1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

सुनिश्चित करेंगें। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचनल हो तो सम्बन्धित वित्त नियन्त्रक आदि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जाए।

9. रूग्ण सहकारी चीनी मिलों के कर्मचारियों के अवशेष देयों के भुगतान हेतु व्यय की गई धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. द्वारा शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा।

10. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-24 के लेखाशीर्षक-6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज-04-चीनी-101-सहकारी चीनी मिलों के लिये कर्ज-15- रूग्ण सहकारी चीनी मिलों के कर्मचारियों के अवशेष देयों के भुगतान हेतु कर्ज-30- निवेश/ ऋण के नामे डाला जाएगा।

11. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-6-236/दस-2021 दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(शिव सहाय अवस्थी)
विशेष सचिव।

संख्या-01 /2021/ 449(1) / 46-2-2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
(3) प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र.सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. लखनऊ ।
(4) वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-6/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/4
(5) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in



1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-01/2021/449/46-2-21-102(2)/2021 दिनांक 24 मार्च 2021 का संलग्नक

उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि.

रूग्ण सहकारी चीनी मिलों के कर्मचारियों के अवशेष देयों के भुगतान की सूची

(लाख रूपये में)

| क्रम संख्या | चीनी मिल का नाम | अवशेष देय |
|---|---|---|
| 1 | अनूपशहर | 300.00 |
| 2 | बीसलपुर | 115.00 |
| 3 | पूरनपुर | 250.00 |
| 4 | तिलहर | 200.00 |
| 5 | घोसी | 120.00 |
| 6 | महमूदाबाद | 220.00 |
| 7 | बिलासपुर | 200.00 |
| 8 | बदायूं | 230.00 |
| 9 | साथा | 100.00 |
| 10 | सुल्तानपुर | 265.00 |
| | योग | 2000.00 |

(रूपये बीस करोड़ मात्र)

(शिव सहाय अवस्थी)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in



1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

# संख्या-01/2021/449/46-2-21-102(2)/2021, दिनांक 24 मार्च, 2021 का संलग्नक।

फार्म बी.एम.-9 (भाग-1)
पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन
(सन्दर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखें)

अनुदान संख्या एवं नाम:- 24 चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग

वित्तीय वर्ष: 2020-21(धनराशि लाख रूपये में)

| निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण | | | | वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा | |
|---|---|---|---|---|---|
| लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में )<br>पूँजीगत<br>अनुदान संख्या-24 | आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग | आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत | संक्रमित की जाने वाली धनराशि | वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि | संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज<br>04-चीनी<br>101-सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज<br>21- सहकारी चीनी मिलों के क्षमता विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण/कोजनरेशन संयंत्र/आसवनी की स्थापना एवं जीर्णोद्धार आदि कार्यों हेतु ऋण30-निवेश/ऋण | **2000.00** | **2000.00** | **2000.00** | **2000.00** | **0.00** |
| **6860-04-101-21-30** | **2000.00** | **2000.00** | **2000.00** | **2000.00** | **0.00** |
| | | | | | |
| **निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण** | | | | **वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा** | |
| लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में )<br>पूँजीगत<br>अनुदान संख्या-24 | वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/विनियोग | वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय | संक्रमण हेतु प्रत्याशित धनराशि (9-8) | वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि | संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11) |
| **7** | **8** | 9 | 10 | **11** | **12** |
| 6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज<br>04-चीनी<br>101-सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज<br>15- रूग्ण सहकारी चीनी मिलों के कर्मचारियों के अवशेष देयों के भुगतान हेतु कर्ज<br>30-निवेश/ऋण | 0.**00** | **2000**.0 | **2000**.0 | **2000**.0 | **2000**.0 |
| योग- | **0.00** | **2000.00** | **2000.00** | **2000.00** | 2000.00 |

**नोट:- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-**

सहकारी चीनी मिलों के क्षमता विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण/कोजनरेशन संयंत्र/आसवनी की स्थापना एवं जीर्णोद्धार आदि कार्यों हेतु ऋण के रूप में स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रस्तावित कार्यों की डी.पी.आर. का अनुमोदन पी.आई.बी. से प्राप्त न हो पाने के फलस्वरूप नहीं हो सकेगा। उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राविधानित धनराशि रू.20.00 करोड़ की आवश्यकता नहीं है।

- उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. की चीनी मिलों के कर्मकारों के सेवानिवृत्त देयों के भुगतान हेतु रू.20.00 करोड़ की आवश्यकता है।
- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150,**151** में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या-आर.ई.584/दस-2021 दिनांक 19 मार्च 2021

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज (इलाहाबाद)

**(शिव सहाय अवस्थी)**
विशेष सचिव
चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

**(विवेक त्रिपाठी)**
संयुक्त सचिव
वित्त विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

**संख्या:** 373(1)46-2-21-102(2)/2021 दिनांक 2 3 मार्च 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. गन्ना एवं चीनी आयुक्त,उ.प्र.,लखनऊ।
2. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय,जवाहर भवन,लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-6
5. वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-4 (दो प्रतियों में)।

**(शिव सहाय अवस्थी)**
विशेष सचिव
चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।